फर्द अहकाम

मोहम्मद सिद्धिक बनाम राज0 सरकार

संख्या 8/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
03.2024	प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बावत् प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि जमाबन्दी में सही अंकन कराने का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/920 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814 रकवा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 815 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 816 रकबा 0. 0100 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार कमल चन्द पुत्र मानक चन्द जैन हिस्सा 2/3, मु० केशर बेवा भोलाराम, सीताराम, कैलाश, रामजीलाल, शंकर, भगवान पि० भोलाराम, कल्याण, जगदीश, गौरीशंकर, घनश्याम पि० गोविन्दनारायण हिस्सा 1/3 है जिसका राजस्व रिकॉर्ड खतौनी बंदोबस्त । जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में अंकित है। प्रार्थना–पत्र के खण्ड 1 में वर्णित भूमि में से खातेदार काश्तकार मु० केशर बेवा भोलाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् 1/36 भाग को प्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 14.07. 1994 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.12. 1994 प्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक कर दिया। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.12.1994 को प्रार्थीगण के नाम सही तस्दीक किया गया, परन्तु राजस्व जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण का इन्द्राज गलत अंकन कर दिया गया जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/36 अंकित करने के बजाय हिस्सा 1/16 अंकित कर दिया गया, जिससे सम्पूर्ण खाते का कुल हिस्सा 1 न होकर भिन्न–भिन्न है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/9[illegible] रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खस[illegible] 14 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 815 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 816 [illegible] कुल किता 5 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर में प्रार्थीगण [illegible] हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.12.1994 के अनुसार 1/36 अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जावें। उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:47 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/920 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 815 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.12.1994 के अनुसार 1/36 अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/920 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 813 रकबा 1.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 815 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 816 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 07.12.1994 के अनुसार 1/36 अंकित किये जाने आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:47 IST
Reason: SelfAttested